

- आदेश -

उत्तर प्रदेश के बाहर से प्रान्त के अन्दर होते हुये प्रान्त के बाहर परिवहित होने वाले कर्मयोग्य माल के संबंध में प्रभावी की गयी ऑनलाइन पारगमन प्राधिकार पत्र (TDP) व्यवस्था के संबंध में फ़िल्ड के अधिकारियों द्वारा कठिनाई द्रान्सपोर्ट / वाहन स्वामियों / व्यक्तियों द्वारा पूर्ण विवरण अंकित न करने या गलत रूप से अपलोड किये जाने की स्थिति में अर्थदण्ड / कर निर्धारण में कठिनाई बतायी गयी है। इसके दृष्टिगत ऑनलाइन पारगमन प्राधिकार पत्र (TDP) व्यवस्था का उपयोग करने वाले प्रत्येक द्रान्सपोर्टर / वाहन स्वामी / व्यक्ति का पूर्ण एवं सही विवरण अपलोड करने के साथ-साथ वाहन की आरोसी० , उसकी इंश्योरेन्स पालिसी की अद्यतन प्रति व उनके पैनकार्ड की पठनीय स्कैन कापी अपलोड कराया जाना तथा परिवहित करयोग्य माल के ₹० ५०००/- अथवा इससे अधिक मूल्य के इनवायस का विवरण भी माझूल में अंकित कराया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है।

वैट अधिनियम की धारा ५२ सप्तित वैट नियमावली के नियम ५८ के उपबन्धों के अधीन एवं पूर्व में कम्पटर यांत्रिक संख्या-स०८०-ट्रान्जिट पास / 1314041 दिनांक ०३-०९-२०१३ के क्रम में आनलाइन पारगमन प्राधिकार पत्र (TDP) सुविधा का उपयोग करने हेतु ऑनलाइन पंजीयन तथा उक्त सुविधा के उपयोग की व्यवस्था दिनांक २०-०१-२०१५ से नियमित प्रभावी की जाती है :-

२- आनलाइन टी०डी०एफ० व्यवस्था का लाभ उठाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति /वाहन स्वामी एवं द्रान्सपोर्टर को आपने वाहन को वाणिज्य कर की वेबसाइट comtax.up.nic.in पर पंजीकृत कराने हेतु ऑनलाइन प्रार्थना पत्र में अपने पूर्ण विवरण के साथ वाहन की आरोसी० , वाहन के इंश्योरेन्स पालिसी की अद्यतन प्रति तथा वाहन स्वामी एवं द्रान्सपोर्टर के पैनकार्ड की स्कैन प्रति , जो सभी पठनीय एवं स्वप्रमाणित होंगी , अपलोड करना अनिवार्य होगा। अपलोडेड सूचना / प्रपत्रों को सापेक्षवेयर के द्वारा स्वतः सचलदल इकाइयों में से किसी एक के प्रभारी असिस्टेन्ट कमिशनर का चयन करके उसके लॉगइन आई०डी० पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

३- प्रदेश में कार्यरत १५० सचलदल इकाइयों के समस्त प्रभारी असिस्टेन्ट कमिशनर को उक्त अपलोडेड सूचना / प्रपत्रों का सम्यक् रूप से अध्ययन , परीक्षण एवं सत्यापन करते हुये ऑनलाइन निस्तारण किये जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। जो निमानुसार उक्त कार्य पूर्ण करेंगे ।

- I. वाहन की स्कैन आरोसी० में घोषित चेसिस संख्या माझूल में अंकित संख्या से मैच कर रहा है अथवा नहीं ,
- II. वाहन इंश्योरेन्स की स्कैन प्रति में घोषित वैधता तिथि , वाहन स्वामी का नाम व पता माझूल में अंकित विवरण से मैच कर रहा है अथवा नहीं , एवं
- III. वाहन स्वामी एवं द्रान्सपोर्टर के पैन कार्ड की स्कैन प्रति में अंकित नम्बर माझूल में अंकित पैन से मैच कर रहा है अथवा नहीं का निर्धारण करें ।

४ उपर्युक्त परीक्षण एवं सत्यापन कार्य के लिये आवेदक को किसी भी दशा में कार्यालय में आहुत नहीं किया जायेगा। उक्त विवरण मैच करने की दशा में नामित अधिकारी पंजीयन प्रार्थना पत्र को ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करेंगे जिसके उपरान्त सिस्टम के द्वारा स्वतः पासवर्ड वाहन स्वामी एवं द्रान्सपोर्टर के मोबाइल नम्बर पर प्रेषित हो जाएगा। विवरण मैच न करने की दशा में अधिकारी माझूल में संक्षिप्त कारण अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र को निरस्त कर देंगे।

संबंधित नामित अधिकारी अपनी लॉगइन आई0 डी0 पर पंजीयन हेतु सूचना / प्रपत्र अपलोड होने पर आगले कार्य दिवस तक उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे।

- 5- जो वाहन पहले से टी0डी0एफ0 के लिये पंजीकृत है , उन्हें उपर्युक्त प्रस्तर स0-2 में दो गयी व्यवस्था के अनुसार दिनांक 30-02-2015 के पूर्व अपना विवरण दिया जाना / अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा जिसे प्रस्तर - 3/4 में दो गयी व्यवस्था के अनुसार नामित अधिकारी सत्यापित / निस्तारित करेंगे । वाहन के इश्योरेंश की अवधि समाप्त होने के पूर्व नवीनीकृत इश्योरेंश का विवरण तथा उसकी स्कैन की गयी स्वप्रमाणित प्रति अपलोड की जाएगी अन्यथा टी0डी0एफ0-। डाउनलोड करने की सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी । ट्रान्सपोर्टर / वाहन स्वामी / व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त विवरण/ प्रपत्र अपलोड करने और प्रस्तर-3/4 के अनुसार नामित अधिकारी द्वारा सत्यापित /निस्तारित किये जाने के बाद ही टी0डी0 एफ0-। । डाउनलोड की सुविधा का पुनः उपभोग किया जा सकेगा ।

- 6- इस व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 20-02-2015 से ऑनलाइन टी0डी0एफ0-। अपलोड करते समय ट्रान्सपोर्टर , वाहन स्वामी / व्यक्ति को संबंधित वाहन द्वारा परिवहित किये जाने वाले टी0डी0एफ0 से संबंधित ऐसे सभी प्रकार के करयोग्य माल , जिनका मूल्य रु 5000/- अथवा इससे अधिक है , के इनवायस / बिलों से संबंधित क्रेता तथा विक्रेता का नाम , इन नम्बर , माल का नाम , संबंधित इनवायस / बिल का क्रमांक व दिनांक तथा मूल्य को टी0डी0एफ0-। में अंकित करना अनिवार्य होगा । यदि क्रेता आपंजीकृत है तो टिन नम्बर के स्थान पर पूर्व की भौति इस फ़ाइल्ड में 09 लिखकर इसमें बाद नौ बार शून्य लिखना होगा ।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

मृत्युजय कुमार नागर्यण
(मृत्युजय कुमार नागर्यण)
कमिशनर , वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. गामनीय अध्यक्ष , 30 प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति , 30 प्र0 शासन ,लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं भोजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन,सन्निवालय,लखनऊ।
3. निदेशक, राजस्व व विशेष अभियुक्ता ,उत्तर प्रदेश शासन,सन्निवालय,लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव, कर एवं निकाय अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,सन्निवालय,लखनऊ । दो प्रातियोगी ।
5. अध्यक्ष / निकायक , उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं साम्बंद्ह सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण , वाणिज्य कर , 30प्र0 ।
6. समस्त जोनल एटीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, 30 प्र0 मुख्यालय , लखनऊ ।
7. समस्त जोनल एटीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, 30 प्र0 ।
8. समस्त एटीशनल कमिशनर एटी-2, वाणिज्य कर , 30प्र0 ।
9. समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / विअनुग्रह) / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेन्ट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / विअनुग्रह) / म0द0) वाणिज्य कर , 30प्र0 ।
11. अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर ,लखनऊ ।
12. गहालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन , अलीगढ़, लखनऊ ।
13. वरिष्ठ राजनीती प्रथिकारी,सतर्तका अधिकारी,विद्रोहादिल्य मार्ग , लखनऊ ।
14. प्रबन्धक, इमेंटिव,पिकप,राणा प्रताप मार्ग , लखनऊ ।
15. समस्त आन्तरिक समरीक्षा दल, वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

57. श्री लिंगेश कन्द्र मिल, अपाध्यक्ष ३०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, ६/६-ए.उ० बी०प०स०रोड, आगीनाबाद लखनऊ।
58. अध्यक्ष, इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस २ गोमती नगर लखनऊ।
59. वैट लॉ जनरल १० नगर मिगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड भेरठ।
60. वीरेंद्र कुमार अग्रवाल माण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इन्हीनियला।
61. नोटर्या सादाबाद गेट, हाथरस।
62. सर्वश्री दि किराना मर्नेन्ट्स एसोसियेशन, ६७/११६ सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
63. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, पड़वोकेट, अध्यक्ष आर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजगाड़ (उ०प्र०)
64. श्री रमेश केशवानी (प्रदेश सभित) जिलाध्यक्ष, ३०प्र०उद्योग व्यापार मण्डल-२२/२६ आशादेवी मर्केट, छोटा मार्टी इलाहाबाद।
65. श्री गणेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गल्ली न०-६ गोपाल टॉवर्स नेहरौ नवीन्यू।
66. श्री गणेश शर्मा ला० मित्रोम०-८ हाउस, आगरा-१५/५ राजनगर, गाजियाबाद।
67. श्रीगति इन्डु पर्सनेशन, आर०डी०ए०५१, राजनगर, गाजियाबाद।
68. श्री बी०प०शुकला, अध्यक्ष, यू०प०० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, १०३ बी० प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
69. श्री अगरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, २४४/६५, यहियागंज, लखनऊ।
70. श्री रवि सन्दूजा, पड़वोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी०१९४, सेक्टर-१०, नोवडा, गोतमबुद्ध नगर (यू०प००)।
71. श्री अरविन्द कान्तरा, सदस्य वैट पड़वाऊजरी कमेटी, उत्तराखण्ड।
72. श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू०प०० पेपर मर्नेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ ४३, सेक्टर-११, नोएडा।
73. अध्यक्ष, राष्ट्र सप्लायोर्स प्रोसिप्शन (उत्तर प्रदेश)
74. अध्यक्ष, यू०प००मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (रजि०) १३३/२९६-ए० ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर।
75. अध्यक्ष / राष्ट्रिय, वेस्टर्न यू०प०० नोएडर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाब्के बाजार, मेरठ।

(वी०प०६०५१२०१५)
उद्यान्त कमिशनर (संनीदली) वाणिज्य क०
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश